न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या :41/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/51)

वादीगण	बनाम प्रतिवादी
1. सुनीता रानी पत्नी चन्द्रभान जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 20, 24 ए एस सी घडसाना तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर। 2. रेखा रानी पत्नी राजकुमार जाति अरोडा निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 05.03.2025

उपस्थितः 1.श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता वादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय— **दिनांक : 04.08.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 63 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 71/65 में वादी संख्या 1 के नाम 87/3038 हिस्सा व वादी संख्या 2 के नाम 43/1519 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता में वादी संख्या 1 का नाम फूला देवी व वादी संख्या 2 का नाम सीमारानी दर्ज है। जबकि वादीगण का वास्तविक नाम क्रमशः सुनीता रानी व रेखा रानी है। वादीगण के नाम में भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजो के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 63 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 71/65 में वादी संख्या 1 के अंकित नाम फूला देवी पुत्री मदनलाल के स्थान पर सुनीता रानी पुत्री मदनलाल व सीमा रानी पुत्री मदनलाल के स्थान पर रेखा रानी पुत्री मदनलाल दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 1476 दिनांक 02.07.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा मौका पर पूछताछ की गई, तो उपस्थित जनो के बताया कि फूला देवी व सुनीता रानी एक ही औरत के दो नाम है तथा सीमा रानी व रेखा रानी भी एक ही औरत के दो नाम है। साक्ष्यवादी में गवाहन राजकुमार व ईश्वर चन्द्र के द्वारा उपस्थित आकर शपथ पत्र पेश किए जो सामिल मिसल किए गए।
3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादीगण, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादीगण अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 63 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ.नि.क्षेत्र

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 71/65 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, इन्तकाल संख्या 328 की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादीगण के द्वारा राजस्व ग्राम 63 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 71/65 में वादी संख्या 1 के अंकित नाम फूला देवी पुत्री मदनलाल के स्थान पर सुनीता रानी पुत्री मदनलाल व सीमा रानी पुत्री मदनलाल के स्थान पर रेखा रानी पुत्री मदनलाल दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। वादीगण के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति में नाम क्रमशः सुनीता रानी व रेखा रानी दर्ज है। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा मौका पर पूछताछ की गई, तो उपस्थित जनो के बताया कि फूला देवी व सुनीता रानी एक ही औरत के दो नाम है तथा सीमा रानी व रेखा रानी भी एक ही औरत के दो नाम है। सरपंच ग्राम पंचायत 24 ए एस सी के तस्दीक प्रमाण पत्र के अनुसार सुनीता रानी को सुनीता रानी उर्फ फुला देवी दोनो नामों से जाना जाता है। उक्त दोनों नाम एक ही औरत के है। इसी प्रकार सरपंच ग्राम पंचायत 6 वीं धनूर के तस्दीक प्रमाण पत्र के अनुसार रेखा रानी व सीमा रानी दोनो नाम एक ही औरत के है। अतः वाद पत्र वादीगण रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादीगण के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत 24 ए एस सी के तस्दीक प्रमाण पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत 6 वीं धनूर के तस्दीक प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

—:आदेश:—

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136— भू—राजस्व अधिनियम—1956 भली—भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 63 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 71/65 में क्रम संख्या 7 पर अंकित नाम फूला देवी पुत्री मदनलाल के स्थान पर फुला देवी उर्फ सुनीता रानी पुत्री मदनलाल व क्रम संख्या 10 पर अंकित नाम सीमा रानी पुत्री मदनलाल के स्थान पर सीमा रानी उर्फ रेखा रानी पुत्री मदनलाल दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

(श्योराम (आर.ए.एस.))
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 04.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

सुनीता रानी आदि बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर **41/2025**
निर्णय दिनांक :- 04.08.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136– भू–राजस्व अधिनियम–1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 63 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 71/65 में क्रम संख्या 7 पर अंकित नाम फूला देवी पुत्री मदनलाल के स्थान पर फुला देवी उर्फ सुनीता रानी पुत्री मदनलाल व क्रम संख्या 10 पर अंकित नाम सीमा रानी पुत्री मदनलाल के स्थान पर सीमा रानी उर्फ रेखा रानी पुत्री मदनलाल दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 04.08.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांक: 04.08.2025

क्रमांकः रीडर/2025/590

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर